हिन्दी रा.प्र.क्र. 13 अ/2 वर्ष 2015-16 पक्षकार अखिलेश वाजपेयी

समक्ष, न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंड़ल ग्वालियर

A 1691-PBR/16

श्रीमति चंद्रकला झा, आयु करीब 48 वर्ष, पत्नि श्री हरेराम झा,
निवासी ग्राम गनेरा, तहसील बाबई
जिला होशंगाबाद...निगरानीकर्ता

बनाम

1.अखिलेख वाजपेयी आयु करीब 40 वर्ष, आ. लक्ष्मीप्रसाद वाजपेयी,
निवासी ग्राम दांडीवाडा, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद,
2.सर्वसाधारण...उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959।

माननीय अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 13/अ–2/2015–16 (पक्षकार अखिलेश वाजपेयी बनाम श्रीमति चंद्रकलॉ झा) में दिनॉक 24.02.2016 के अंतवर्ती आदेश पारित करते हुए माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण 60 अ/02 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 05.11.2015 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई, मौके पर निर्माण कार्य न किए जाने संबंधी स्थगन आदेश जारी कर दिया, जिससे दुःखित एवं विपरीत प्रभावित होकर निगरानीकर्ता उक्त निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करती हैं:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक [redacted] 1691 -पीबीआर/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-2016	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24-2-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपील प्रकरण में अंतिम निराकरण होने तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6-11-15 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है, जबकि म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में हुये संशोधन के फलस्वरूप एक बार में 3 माह से अधिक का स्थगन नहीं दिया जा सकता है । अतः प्रकरण अंतिम निराकरण इसी स्टेज पर अपर कलेक्टर को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वह संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें । अध्यक्ष	